

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला उदयपुर

प्रार्थी : श्री अभिजीत कर्वा

किस्म मुकदमा -128 भूरा. अधिनियम

विपक्षी : श्रीमती ईशुबाई

पत्रावली संख्या : 06/25

जीसीएमएस : 2025/12

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 27.01.2025</p> <p>पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र तलबी मय वाद विद्दो का पेश करने पर तलब की गई। प्रार्थना पत्र शामिल फाईल रहे।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र तलबी मय विद्दो का पेश कर वाद को इसी स्तर पर विद्दो किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र वाद विद्दो पर सुना गया तथा प्रार्थना पत्र वाद विद्दो को पढकर अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया।</p> <p>चूंकि अधिवक्ता प्रार्थीगण अब इस वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा वाद को इसी स्तर पर विद्दो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद विद्दो का स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का इसी स्तर पर विद्दो फरमाया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p>(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी मावली</p>	

